मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक F3-5/11/26-2 - भोपाल, दिनांक 07.03.2011

कार्यालय कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)
शाखा ....
28 MAR 2011
अधीक्षक

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

2. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय विभाग.

Publish

विषय :–स्पर्श अभियान 08–14 अप्रैल 2011

—0—

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार परिभाषित निःशक्त, मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता एवं म.प्र. निराश्रित एवं निर्धन व्यक्ति की सहायता अधिनियम 1970 के अनुसार परिभाषित वृद्ध एवं शिथिलांग व्यक्ति जिन्होने आयु 60 वर्ष पूर्ण कर ली हो(जनसंख्या का 7.2 प्रतिशत) और वह आजीविका कमाने के लिए असमर्थ हो, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक विकलांग, मानसिक बीमारी से ग्रसित या अस्थाई विकलांग हो, आते हैं। यह सभी भारत के सम्मानित नागरिक हैं इनके अधिकारों का संरक्षण कर समाज में इनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है ।

2. शासन द्वारा उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु योजनाएं संचालित की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं मानसिक/बहुविकलांग 500/– रूपये प्रतिमाह सहायता अनुदान,विशेष छात्रगृह,वृद्धाश्रम एवं अशासकीय संस्थाओं को शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

3. योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्तियों को मिलता रहे इसे सुनिश्चित करना आवश्यक है। मानसिक रूग्णता,मन्दबुद्वि (निःशक्तता का 10 प्रतिशत) एवं वृद्ध समाज के वो घटक है जो स्वयं चलकर आने में असमर्थ है व यह समझनें में असमर्थ है अथवा अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है उन तक पहुंचना आवश्यक है।

शासन की यह मंशा है कि समाज के इस वर्ग को एवं विशेषकर जिन्हें परिवारों का सहारा न हो उन तक पहुंचा जावे।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने जनहित में याचिका कमांक 196/2001 में ऐसे लोगों के लिये रैनबसेरा के निर्देश दिये है। जिसके तहत शासन द्वारा कई स्थानों पर रैनबसेरा स्थापित किये है। निराश्रित एवं निर्धन अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कई स्थानों पर आश्रम/वृद्व आश्रमों की स्थापना हुई है, जो बाधारहित वातावरण, चिकित्सा एवं परिवहन सुविधा सहित है।

4. विभिन्न प्रकार के प्रयासों के उपरान्त भी निराक्षित वृद्व, मंदबुद्वि, मानसिक रूग्णता से पीड़ित व्यक्ति कठिनाईयों का सामना करते हैं, कोई भी इन्हें स्पर्श नहीं करता। इनसे उन्हें मुक्त होने में प्रशासन के सकारात्मक प्रयास निरंतर आवश्यक है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 08 से 14 अप्रैल 2011 के मध्य "स्पर्श" अभियान चलाया जाया।

5. स्पर्श अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए यह आवश्यक है कि निम्नांकित अधिनियमों/नियमों का अध्ययन सभी संबंधित कर लें:–

1. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम –1995
2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 1997
3. मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्ति की सहायता अधिनियम 1970
4. लीगल सर्विस ॲथारिटी एक्ट 1987
5. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण कल्याण अधिनियम 2007
6. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, और बहुनिःशक्ता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999
7. मेन्टल हेल्थ एक्ट 1987
8. NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY (LEGAL SERVIES TO THE MENTALLY ILL PERSONS AND PERSONS WITH MENTAL) DISABILITIES, 2010

उपरोक्त अधिनियमों/नियमों में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत हितग्राहियों को चिन्हित करने और उनके पुनर्वास में सहायता मिलेगी।

6. स्पर्श अभियान के अंतर्गत जनगणना 2011 में जिस प्रगणक की नियुक्ति की गयी है, यदि सेवाएं प्राप्त की जाती है तो वह उपयोगी होगी, क्योंकि जनगणना के प्रपत्र में निःशक्त व्यक्तियों की जानकारी भी भरी जा रही है और यह जानकारी संबंधित प्रगणक को निःशक्त व्यक्ति तक पहुंचने में सहायक होगी।

स्पर्श अभियान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली कार्यवाही आदि के निर्देश संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(आर.परशुराम)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय विभाग

पृ0क्रं0 F3-5/11/26-2 भोपाल, दिनांक 07.03.2011

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग.
3. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश, वल्लभ भवन, भोपाल.
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग
6. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
7. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
8. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग
10. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन विभाग
11. सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
12. समस्त संभागीय आयुक्त
13. समस्त डीन, मेडीकल कालेज

(व्ही0के0बाथम)
सचिव
म0प्र0शासन
सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:– स्पर्श अभियान –:

1. प्रस्तावना :–

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा–2 (झ) में वर्णित निःशक्त, मानसिक मंदत्ता और मानसिक रूग्णता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा म.प्र. निराश्रित एवं निर्धन व्यक्ति की सहायता अधिनियम 1970 के अन्तर्गत ऐसे वृद्व एवं शिथिलांग व्यक्ति जिनने आयु 60 वर्ष पूर्ण कर ली हो और वह आजीविका कमाने के लिए असमर्थ हो, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवणवाधित, मानसिक विकलांग, मानसिक बीमारी से ग्रसित या अस्थाई विकलांग हो, आते हैं। यह सभी लोग भारत के नागरिक हैं इनको भी अन्य नागरिकों की तरह समाज में रहने का अधिकार है तथा इनके अधिकारों का संरक्षण सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में भी इन्हें पूर्ण भागीदारी का अधिकार है।

म.प्र.शासन मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता और ऐसे वृद्व शिथिलांग जो अपनी जीविका चलाने के लिए असमर्थ हैं, के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाए संचालित की हैं। वृद्वजनों एवं निःशक्तजनों को मासिक पेंशन के अलावा जो बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित हैं उनको रूपये 500/– प्रतिमाह की विशेष आर्थिक सहायता, वृद्वाश्रम एवं आवासीय संस्थाएं संचालित की गई हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ इन व्यक्तियों को मिले यह सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस श्रेणी के व्यक्तियों के परिवार के सदस्य परिस्थितिवश भरण–पोषण का दायित्व नहीं उठा पाते हैं और उनका परित्याग करते हैं जिसके फलस्वरूप इनमें से कई लोगों को

सड़कों पर भटकना अथवा रहना पड़ता है। न तो इनके पास सोने का स्थान होता है, न ही पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े होते हैं, और न ही भोजन की व्यवस्था हमेशा हो पाती है, जिस कारण भीख पर आश्रित होने के लिए भी बाध्य होना पड़ जाता है, जबकि यह सभी समाज में सम्मानपूर्वक जीने के हक रखते हैं। मान. सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका कमांक 196/2001 मे शहरी क्षेत्र में ऐसे लोग जिनके लिए कोई आश्रय स्थल नहीं है, उनको रात में सोने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं, जिसके तहत शासन द्वारा रैन बसेरा स्थापित किये गये हैं। निराश्रित एवं निर्धन व्यक्ति अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कई स्थानों पर आश्रमों एवं वृद्वाश्रमों की स्थापना की गई है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में ऐसे व्यक्तियों के भरण–पोषण और आश्रय का प्रावधान है तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निःशक्त एव वृद्वजन के लिए बाधारहित वातावरण, चिकित्सा, परिवहन सुविधा प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

लीगल सर्विस अथारटी एक्ट 1987 के अन्तर्गत भी निःशक्तजनों को अधिकार दिये गये हैं, लेकिन यह प्रावधान होने के पश्चात् भी निःशक्तों जिसमें मुख्य रूप से मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता से पीड़ित व्यक्ति योजना का प्रचार–प्रसार न होने और उनकी पहुंच न होने के कारण उन्हें कानूनी सहायता भी प्राप्त नहीं हो पाती है।

इन सब निर्देशों के उपरान्त भी यह देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में निराश्रित वृद्व, मंदबुद्वि, मानसिक रूग्णता से पीड़ित व्यक्ति दर–दर भटकते रहते हैं, फूटपाथों पर पड़े रहते हैं उनको कोई भी आश्रय उपलब्ध नहीं करा पाता न

ही उनको कोई स्पर्श करता है, यह स्थिति बड़ी भयावह लगती हैं। इस भयावह स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदलने के लिए यह जरूरी है कि इन वर्गों के पुर्नवास के कार्य में विशेष रूचि ली जाए। इसके तहत राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि दिनांक 08 से 14 अप्रैल 2011 के मध्य एक ''**स्पर्श अभियान**'' चलाया जाए।

2. उद्देश्य :-

मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता और ऐसे निराश्रित वृद्व जो अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं का समग्र पुर्नवास जिसके अन्तर्गत :-

(1) मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता और ऐसे निराश्रित वृद्व जो अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं जिनके कोई वैद्य उत्तराधिकारी, रक्त संबंधी रिश्तेदार भी नहीं है कि पहचान करना।

(2) ऐसे व्यक्तियों को अधिकार, समान अवसर शासन द्वारा उपलब्ध कराये जा रही सुविधाओं के बारे जागरूक करना।

(3) इन लोगों के लिए सकारात्मक एवं बाधारहित वातावरण का निर्माण कर समग्र पुर्नवास करना, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं उनके लिए आश्रय की व्यवस्था करना।

(4) मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता और ऐसे निराश्रित वृद्व जो अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं उन्हें शासन द्वारा चलाये जा रही योजना की जानकारी देकर लाभान्वित करना।

(5) चिन्हित हितग्राहियों को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कार्य करना। इस संबंध में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

(6) चिन्हित व्यक्तियों के लिए अधिनियम के प्रावधान के तहत अभिभावक की नियुक्ति करना एवं अभिभावक द्वारा किये जा रहे कार्या एवं शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता का लेखा जोखा के लिए एक मूल्यांकन कार्ड उपलब्ध कराना।

(7) चिन्हित हितग्राहियों के समग्र पुर्नवास हेतु संसाधनों को देखते हुए भावी योजना तैयार कराकर क्रियान्वित करना।

(8) चिन्हित हितग्राहियों के अभिभावकों तथा शासन के अधिकारियों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करना, ताकि हितग्राहियों के पुर्नवास की दिशा में जीवन्त सम्पर्क बना रहे और सहायता उपलब्ध कराने की निरन्तरता बनी रहे।

3. लक्ष्य :–

1. मानसिक मंदत्ता एवं मानसिक रूग्णता और 75 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध जो अपना भरण–पोषण स्वयं नहीं कर सकते हैं उनको चिन्हित करना, चिन्हित कर उनको पुर्नवासित करना।

2. चिन्हित किये गये हितग्राहियों को यथासमय स्वावलम्बन बनाने की दिशा में विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

3. चिन्हित किये गये हितग्राहियों को शासकीय एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे आश्रम एवं शालाओं में प्रवेश दिलाने हेतु संख्या को देखते हुए नई संस्थाएं स्थापित करने की दिशा में कार्यक्रम तैयार करना।

4. विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

5. चिन्हित व्यक्तियों को स्पर्श कार्ड उपलब्ध कराना और किसी न किसी समाज सेवी को अभिभावक के रूप में जोड़ने की दिशा में प्रयास करना।

6. डाटावेस तैयार करना।

4. रूपरेखा :–

1. स्पर्श अभियान 08 अप्रैल से 14 अप्रैल 2011 के मध्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक साथ प्रारम्भ किया जायेगा।

2. अभियान का समय प्रातः 08 से 12 बजे अथवा सांय 04 से 07 बजे के मध्य होगा।

3. दिनांक 08 से 12 अप्रैल 2011 के मध्य सभी हितग्राहियों को चिन्हित किया जायेगा।

4. दिनांक 13 एवं 14 अप्रैल 2011 को जिला स्तर स्पर्श शिविर आयोजित करेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड तैयार कर एवं पात्रतानुसार सहायता उपलब्ध कराना।

5. स्पर्श अभियान जिला कलेक्टर के नेतृत्व में आयोजित होगा।

6. कलेक्टर अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास खण्ड स्तर पर सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे एवं नगरीय क्षेत्र के लिए पृथक से नोडल अधिकारी होगें।

7. जिला नोडल अधिकारी कलेक्टर स्वयं होंगे।

8. सहायक नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पर्श दल गठित करेंगे। स्पर्श दल के सदस्य स्पर्श मित्र के नाम से जाने जायेंगे।

9. स्पर्श शिविर के दिन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के जनप्रतिनिधियों, जिले के मान. सांसद, विधायक, पार्षदगण, समाज सेवी

एवं समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

10. यदि कोई नागरिक/समाज सेवी मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता से ग्रसित और वृद्व व्यक्तियों के अभिभावक बनना चाहते हैं तो उसका दायित्व अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के तहत कलेक्टर द्वारा सौंपा जा सकता है।

11. इस अभियान के दौरान दानदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री कलेक्टर द्वारा उसी शर्त पर स्वीकार की जायेगी जब वह अच्छे किस्म की हो और मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता तथा वृद्वों के लिए उपयोगी हो।

12. राज्य स्तर पर सचिव, सामाजिक न्याय स्पर्श अभियान के नोडल अधिकारी होंगे।

13. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं आयुक्त, निःशक्तजन स्पर्श अभियान के दौरान क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे एवं अधिनियम, नियम के अन्तर्गत मार्गदर्शन देने तथा निराश्रित निधि से व्यय करने के प्रस्ताव आने पर स्वीकृति प्रदान करेंगे।

14. नियंत्रण प्रकोष्ठ अभियान के दौरान राज्य स्तर पर एक नियंत्रण प्रकोष्ठ गठित किया जायेगा, जिसके प्रभारी उप संचालक, निःशक्तजन होंगे जो जिलों में अभियान के दौरान किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं समन्वय का कार्य करेंगे।

5. सहायक नोडल अधिकारी एवं स्पर्श मित्र के कार्य :–

1. इस अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए स्पर्श मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

2. यह मित्र मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता और 75 वर्ष आयु के ऐसे वृद्व जो कि अपना भरण–पोषण स्वयं नहीं कर सकते उनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य पुत्र, पुत्री, भाई, नाती पोते आदि नहीं है उनको चिन्हित करते हुए उनका आवेदन पत्र भरेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप (एनेक्सर–1) में दिया गया है।

3. स्पर्श मित्र एक पंजी भी संधारित करेगा, जिसमें व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति, आयू, लिंग, पता निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (IDEA, Scal) का उल्लेख रहेगा, जिसका प्रारूप एनेक्सर–1 में दिया गया है। इस आधार पर जानकारी कम्प्यूटरीकृत की जावेगी।

4. मानसिक रूग्णता के हितग्राहियों को शिविर में एवं मानसिक चिकित्सालय तक ले जाने के लिए पुलिस/होमगार्ड के सहयोग से मेन्टल हेल्थ एक्ट 1987 के तहत न्यायालय से विशेष रिशेपशन आर्डर प्राप्त किया जावेगा।

5. इस पंजी के आधार पर इन व्यक्तियों को किस–किस तरह पुर्नवासित किया जा सकता है और क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी का उल्लेख किया जायेगा और यह सुविधाएं उनको उपलब्ध हुई अथवा नहीं इसकी पुष्टि सहायक नोडल अधिकारी द्वारा अभियान समाप्ति के 2 माह के भीतर की जायेगी। इसके लिए नियमित साप्ताहिक समीक्षा नोडल अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा मासिक समीक्षा कलेक्टर द्वारा तब तक की जायेगी जब तक कि शत–प्रतिशत हितग्राही पुर्नवासित नहीं हो जाते।

6, सहायक नोडल अधिकारी एवं स्पर्श मित्र कौन हो सकते हैं :–

1. सहायक नोडल अधिकारी यथासंभव अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) स्तर के अधिकारी रहेंगे।

2. स्पर्श मित्र के अन्तर्गत पंचायत सचिव, होमगार्ड के सैनिक, कोटवार, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और सहायक नोडल अधिकारी जिसको उचित समझे उसको सहायक मित्र नियुक्त कर सकता है।

3. स्पर्श दल एवं स्पर्श मित्र के रूप में स्वयं सेवी संस्थाएं, नेहरू युवा केन्द, एन.सी.सी., एन.एस.एस. के स्वयं सेवीयों को भी बनाया जा सकता है।

7. **रणनीति :–**

1. जिला नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, स्पर्श दल एवं स्पर्श मित्र की नियुक्ति के पश्चात् स्पर्श अभियान की रणनीति के तहत हितग्राहियों को चिन्हित किया जायेगा।

2. चिन्हित हितग्राहियों का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार गहन स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय में कराया जाये।

3. विक्षिप्त एवं मंदबुद्वि व्यक्तियों के लिए उच्च, एवं स्कूल शिक्षा, चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के मनोचिकित्सक की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी।

4. स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान हितग्राहियों के नहलाने, केस काटने, नये वस्त्र जिसमें पुरूषों के लिए कुर्ता पजामा एवं महिलाओं के लिए सलवार सूट एवं अन्य आवश्यक वस्त्र स्वयं सेवकों के माध्यम से पहनाये जायेंगे। इस कार्य के लिए चिकित्सालय/पुलिस/जेल में उपलब्ध (बाल काटने, कपड़े पहनाने) स्टॉफ की सेवाएं ली जायेंगी। यदि यह उपलब्ध नहीं होती हैं तो बाज़ार से दैनिक मजदूरी पर ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं ली जायेंगी जो इस कार्य को करने के लिए सहमत हो।

5. स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त निराश्रित वृद्वों को वृद्वाश्रम में प्रवेश दिलाया जायेगा। मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति को मानसिक चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा जायेगा, जिसके लिए एम्बूलेन्स की सुविधा रेडक्रास/रोगी कल्याण समिति के माध्यम से उपलब्ध

कराई जायेगी। मंदबुद्वि से ग्रसित बालक/बालिकाओं के लिए स्कूलों/संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाये।

6. चिन्हित किये गये हितग्राहियों को एक कार्ड **"स्पर्श कार्ड"** के नाम से जारी होगा जिसमें हितग्राहियों का पूर्ण परिचय के साथ–साथ निःशक्तता का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, दीनदयाल अन्त्योदय उपचार कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा और इस कार्ड में उन्हें क्या–क्या सुविधाएं प्रदत्त की जायेगी का उल्लेख किया जायेगा तथा स्पर्श मित्र का दायित्व रहेगा कि चिन्हित हितग्राही को अत्यावश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं।

7. इस अभियान की सफलता प्रचार–प्रसार पर निर्भर करेगी। इसलिए प्रचार–प्रसार से अनुकूल वातावरण का निर्माण कराया जाए। प्रचार–प्रसार ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों एवं दूरदराज के ऐसे क्षेत्र जहां पर पहुंच कम होती है चाहे वह शहर हो या ग्राम वहां तक प्रचार–प्रसार किया जाए। प्रचार–प्रसार के लिए मुख्य रूप से लाउडस्पीकर, ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पीटवाकर, स्थानीय समाचार–पत्र एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराया जाए।

8. प्रचार–प्रसार एक सशक्त माध्यम नगरीय निकाय के महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और ग्रामीण निकायों में सरपंच, पंच को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाए तथा शासकीय भवन एवं स्कूलों के दिवालों पर लेखन कराया जाये। इसके अलावा ग्रामीण अंचलों में कार्य कर रहे आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, वनकर्मियों के माध्यम से कराया जाए।

9. स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर में ले जाने एवं मानसिक चिकित्सालय तक ले जाने के लिए न्यायालय से मेन्टल हेल्थ एक्ट 1987 के अन्तर्गत रिशेपशन अनुमति प्राप्त करना।

8. पुर्नवास :–

चिन्हित किये गये हितग्राहियों के लिए कार्य योजना निम्नानुसार है :–

1. ग्रामवार, पंचायतवार, नगरीय निकायवार पंजी का संधारण करना।
2. चिन्हित हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
3. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना अन्तर्गत कार्ड बनवाना।
4. चिन्हित की गई संस्थाओं में चिन्हित हितग्राहियों को उनकी श्रेणी देखते हुए संस्थाओं में प्रवेश दिलवाना।
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन/निःशक्त पेंशन/सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रकरण तैयार कर पात्रतानुसार स्वीकृत करना।
6. बहुविकलांग श्रेणी में आने वाले हितग्राहियों को रूपये 500/– की विशेष आर्थिक सहायता स्वीकृत कर उपलब्ध कराना।
7. चिन्हित किये गये व्यक्तियों को स्वावलम्बन बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ एव अन्य चिन्हित स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
8. चिन्हित हितग्राहियों को आवासीय संस्थाओं/वृद्वाश्रम/मानसिक रोग चिकित्सालय में उपचार आदि हेतु प्रवेश दिलवाया जाये।

9. वित्तीय व्यवस्था :–

स्पर्श अभियान के अन्तर्गत जिन हितग्राहियों को पुर्नवासित किया जाना है वह सभी म.प्र. निराश्रित एवं निर्धन अधिनियम 1970 की परिधी में आते हैं। इसलिए इन व्यक्तियों के कल्याण के लिए निराश्रित निधि का गठन किया गया है इस निधि पर अर्जित ब्याज से अभियान के अन्तर्गत निम्नांकित मदों में व्यय किये जाने का प्रावधान है :–

1. निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण आदि का प्रदाय।
2. निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्यशाला, सेमिनार, प्रदर्शनी एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार चलित इकाईयों की स्थापना है।
3. निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों की सहायता हेतु प्रबंधकीय व्यय।
4. निराश्रित निःशक्त व्यक्ति पुर्नवास और ऐसी योजनाओं के कियान्वयन हेतु व्यय।
5. इसके अलावा दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजनान्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार हेतु दवाईयों की व्यवस्था आदि।
6. कलेक्टर को रूपये 2.00 लाख तक व्यय स्वीकृत के अधिकार हैं और इससे अधिक व्यय होने की स्थिति में आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा निराश्रित नीधि पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग करने के लिए अनुमति दी जायेगी।
7. इस अभियान पर किये गये व्यय का पृथक से लेखा संधारित किया जायेगा।

8. रेडकास के माध्यम से स्पर्श अभियान के अन्तर्गत मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता एवं वृद्धों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था तथा उनके प्रसाधन की व्यवस्था पर व्यय कर सकते हैं।

9. स्वास्थ्य विभाग एवं रेडकास के माध्यम से एम्बूलेन्स की व्यवस्था मानसिक चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराना।

10. स्वयं सेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं का सहयोग जो दान नगद/वस्तु के रूप में प्राप्त हो उसका लेखा जोखा पृथक से रखा जाये।

10. स्पर्श अभियान के पूर्व की तैयारियॉं :–

जिला स्तरीय बैठक का आयोजन :–

स्पर्श अभियान प्रारम्भ होने के पूर्व कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाए जिसमें निम्नांकित अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए :–

1. पुलिस अधीक्षक
2. वन मण्डलाधिकारी
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. चिकित्सा महाविद्यालय / शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ विशेषज्ञ।
5. उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के ऐसे व्याख्याता एवं शिक्षक जो मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं।
6. रेडक्रास सोसायटी, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, स्वयं सेवी संस्थाएं जो जिले में निःशक्तों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
8. होमगार्ड कमाण्डेन्ड
9. एन.सी.सी.
10. एन.एस.एस. के जिला स्तरीय अधिकारी
11. महिला एवं बाल विकास अधिकारी
12. अनुविभागीय अधिकारी
13. नगरीय निकायों के अधिकारी आदि।

जनप्रतिनिधियों के साथ परामर्श एवं बैठकें :–

इस अभियान में जन प्रतिनिधियों को जोड़ने के लिए कलेक्टर द्वारा प्रयास किये जायें। इस हेतु जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक / परामर्श किया जाये तथा यथा संभव स्पर्श मित्र की भूमिका से जोड़ा जाये।

11. प्रशिक्षण :–

स्पर्श अभियान के अन्तर्गत सहायक नोडल अधिकारी और स्पर्श मित्रों को प्रशिक्षण में तैयार की गई प्रश्नावली भरी जायेगी तथा पंजी संधारण किया जायेगा। किस तरह हितग्राहियों को चिन्हित करना है। चिन्हित करने के उपरान्त स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर तक लाना है जब तक उसका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो जाता तब तक वह हितग्राही के साथ रहे ऐसी स्थिति में उसका व्यवहार हितग्राही के प्रति कैसा हो आदि बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना।

12. राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर अभियान की समीक्षा :–

1. स्पर्श अभियान के लिए नियुक्त किये गये स्पर्श दल एवं स्पर्श मित्र उनको उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री, अभियान के दौरान किन–किन संस्थाओं में हितग्राहियों को भेजा जायेगा, उनके प्रसाधन हेतु दैनिक वेतन में रखे जाने वाले कर्मियों आदि की समीक्षा होगी।

2. स्पर्श अभियान के दौरान कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन सहायक नोडल अधिकारियों से अभियान की जानकारी प्राप्त की जायेगी। सहायक नोडल अधिकारी उनके जिले में भ्रमण कर रहे स्पर्श मित्रों से सम्पर्क करेंगे।

3. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अन्य जिला अधिकारी जिसे कलेक्टर उचित समझें भी अभियान के दौरान भ्रमण करेंगे।

4. स्पर्श अभियान आयोजन के उपरान्त समीक्षा जो कि 16 अप्रैल 2011 को की जाए। इसके अन्तर्गत आवेदन पत्र, पंजी हितग्राहियों को मानसिक चिकित्सालय में पहुंचाने, वृद्धाश्रम एवं संस्थाओं में प्रवेश हितग्राहियों की पेंशन एवं आर्थिक सहायता की स्वीकृति उनको प्रदाय की गई सामग्री और प्रसाधन के लिए किये गये कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

5. जिलों से जानकारी प्राप्त होने पर राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्पर्श अभियान की समीक्षा की जावेगी जिसके आधार पर भावी कार्ययोजना तैयार होगी।

प्रदेश में यह अभियान एक चुनौतीपूर्ण अभियान होगा तथा इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चिन्हित किये गये हितग्राहियों को शत–प्रतिशत पुर्नवासित कर दिया जाए।

(व्ही.के.वाथम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग